राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

विषयः–निःशक्त जनों का सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित राजस्थान निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 दिनांक 21.07.2011 को जारी किये गये जो दिनांक 26.7.2011 से राज्य में प्रभावी हो गये हैं। इन नियमों में निःशक्त जनों के लिये सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी किये गये राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 दिनांक 03.01.2012 की अधिसूचना द्वारा उक्त नियमों के प्रभावी होने की तिथि 26.7.2011 से ही निरसित किये गये हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न सेवा नियमों में निःशक्तजनों के लिए सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसके संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण अधिनियम, 1995 में उपलब्ध प्रावधानों की भावनानुसार जारी किये गये नियम, 2011 के अन्तर्गत राजकीय सेवाओं में निःशक्त जनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में सरकारी सेवाओं में निःशक्त जनों हेतु किये गये तीन प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित करावें ताकि निःशक्त जनों को सरकारी सेवाओं में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

(सुदर्शन सेठी) 1.6.2012
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

अशा0 टीप सं. प. 17(3)कार्मिक/क–2/2012
जयपुर, दिनांक– 01-06-2012

24/2012